COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA TWENTY

(90) **न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0प्र0)**

नि.गा ~~1709-I-16~~
1709-I-16

श्री ... चतुर्वेदी अधि.
द्वारा आज दि. 31.5.16 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1—परवेज खान तनय अजीज खान आयु— 34 वर्ष, निवासी ताल दरवाजा अखाडा मुहल्ला टीकमगढ म0प्र0

2—प्रमोद यादव तनय रामसिंह यादव आयु— 35 वर्ष, निवासी ग्राम नादिया तहसील जतारा जिला टीकमगढ म0प्र0

—पुनरीक्षणकर्तागण—

बनाम

R-1

1--मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अधीक्षक भू—अभिलेख टीकमगढ म0प्र0

2--राकेश विश्वकर्मा आत्मज श्री वलराम विश्वकर्मा आयु— 30वर्ष निवासी ग्राम वडागांव खुर्द तहसील व जिला टीकमगढ म0प्र0

3--कमलेश विश्वकर्मा तनय वलराम विश्वकर्मा आयु— 28 वर्ष, निवासी ग्राम वडागांव खुर्द तहसील व जिला टीकमगढ म0प्र0

4--महिला रामकुमारी पत्नी बलराम विश्वकर्मा आयु— 47 वर्ष, निवासी ग्राम वडागांव खुर्द तहसील व जिला टीकमगढ म0प्र0

—उत्तरवादीगण—

31.5.16

31.5.16

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता प्रकरण कमांक 9/स्वमेव निगरानी/2015—16 आदेश दिनांक 2/4/2016 जानकारी दिनांक 17/5/2016 अधीनस्थ विद्वान कलेक्टर महोदय टीकमगढ म0प्र0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1709-एक/2016 — जिला टीकमगढ़

परेवज विरूद्ध अधीक्षक भू-अभिलेख व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक परवेज की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 9/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

21.12.18

किया जाता **है** । आवेदक **दिनांक** 24-01-2019 को इस आदेश की **सत्यप्रतिलिपि** **लेकर** आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में **प्रस्तुत** हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित **अभिलेख** आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18
(आर.के. जैन)
सदस्य